



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012026-269469
CG-DL-E-20012026-269469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]
No. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 285(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **2614(E)** तारीख **13/06/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि.मी. 317.28 से कि.मी.328.78 तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21/07/2025 को "द इंडियन एक्सप्रेस" और "समांज" 21/07/2025 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि.मी. 317.28 से कि.मी.328.78 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कोरापुट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बोरीगुमा					
गांव का नाम: खुडिगुडा					
1	35/370	निजी (प्राइवेट)	घराबरी	0.344	श्री त्रिपाठी पाणिग्राही, श्रीकांत पाणिग्राही ,श्रीनिवासा पाणिग्राही 35/370
गांव का नाम: झिलिमिलि					
2	244	निजी (प्राइवेट)	घराबरी	0.129	रामकृष्ण दंडसेना, गोपाला दंडसेना, संतोष दंडसेना , गगन दंडसेना 244
3	244/703	निजी (प्राइवेट)	पैडी-2	0.23	एँन् मधाबा राओ 244/703
4	627/3862	निजी (प्राइवेट)	पैडी-2	0.081	श्रीमती- सरोजिनी साहू 627/3862
गांव का नाम: बोरीगुमा					
5	910/2	निजी (प्राइवेट)	पैडी-2	0.089	श्रीमती- त्रिलोकी गौदानी 910/2
Total				0.873	

[फा. सं. 12037/48/2015/ORS/P-5/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 285(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2614(E) Dated:13/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH26 in the stretch of land from Km. 317.28 to Km. 328.78 in the district of KORAPUT in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” dated 21/07/2025, and “Samaj” dated 21/07/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH26 in the stretch of land from Km. 317.28 to Km. 328.78 in the district of KORAPUT in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: KORAPUT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Boriguma					
Village: Khudiguda					
1	35/370	Private	Gharabari	0.344	Sri Tripati Panigrahi, Srikant Panigrahi ,Srinibasa Panigrahi 35/370
Village: Jhilimili					
2	244	Private	Gharabari	0.129	Ramakrushna Dandasena, Gopala Dandasena, Santosh Dandasena, Gagan Dandasena 244
3	244/703	Private	paddy-2	0.23	N Madhaba Rao 244/703
4	627/3862	Private	paddy-2	0.081	Smt Sarojini Sahoo 627/3862
Village: Borigumma					
5	910/2	Private	paddy-2	0.089	Smt Triloki Goudani 910/2
Total				0.873	

[F. No. 12037/48/2015/ORS/P-5/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director